निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई॰ए॰एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 143/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती फूलीदेवी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट
2. मदन लाल पुत्र गोपीराम जाट
3. हीरालाल पुत्र गोपीराम जाट

समस्त निवासी ग्राम बेगस तहसील कालवाड, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जयन्त कुमार आर॰ए॰एस॰ उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) ।
2. भगवान सहाय पुत्र स्व॰ रामकंवर जाति जाट निवासी टोडावता की ढाणी, ग्राम बेगस, जिला जयपुर ।
3. ममता जायन्दा पुत्री स्व॰ सत्यनारायण दत्तक पुत्री भगवान सहाय हाल निवासी कीरतपुरा की ढाणी बगरू ।
4. काना पुत्र चन्दा
5. गोविन्द राम चौधरी पुत्र मदन लाल चौधरी जाति जाट
6. श्रीमती चन्दा देवी पत्नी मदनलाल जाति जाट
7. रामरतन पुत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी
8. संतोष देवी पत्नी हीरालाल जाति जाट
9. कमलेश पुत्री जगदीश जाति जाट
10. जडाव देवी पुत्री औंकार जाति जाट ,
11. धापू पत्नी जगदीश जाति जाट
12. बद्रीनारायण पुत्र श्रीनारायण जाति जाट
13. बरदी देवी पत्नी औंकार जाति जाट
14. रमेश पुत्र जगदीश
15. राकेश पुत्र जगदीश
16. रामजीलाल पुत्र औंकार
17. रामधन पुत्र औंकार
18. रामरतन पुत्र औंकार
19. लालाराम पुत्र औंकार
20. शंकर पुत्र जदीश
21. सूखा पुत्र हरदेव
22. सुप्यार देवी पुत्री औंकार
23. सूरजमल पुत्र औंकार
24. कजोड पुत्र भूरा
25. जीवण पुत्र रामनाथ

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

26. भवानी शंकर पुत्र भूरा
27. भागीरथ पुत्र भूरा
28. लाला पुत्र छोटू
29. श्रवण पुत्र भूरा

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बेगस तहसील कालवाड, जिला जयपुर, राजस्थान।

30. तहसीलदार कालवाड, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 81/2023 व प्रार्थना पत्र संख्या 73/2023 ब उनवानी ममता बनाम भगवान सहाय व अन्य ।.

उपस्थितः—

1. श्री रमेश कुमार सैनी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री बाबूलाल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से ।

कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय **दिनांक 23.01.2025**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) के समक्ष प्रकरण संख्या 81/2023 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 73/2023 ब उनवानी ममता बनाम भगवान सहाय व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण अभी प्रारम्भिक स्टैज पर है। पत्रावली में पक्षकारों का जबाब व जबाबुल जबाब दिया जा रहा है मिन अप्रार्थीगण ने भी अपना जबाब दावा व जबाब टी आई दिनांक 29.10.2024 को प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने मनमर्जी हठधर्मिता करते हुए मिन प्रार्थीगण का जबाब दावा व जबाब टी आई को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है और प्रार्थीगण को प्रकरण में स्वयं का पक्ष रखने से मना कर दिया है जिस संबंध में अवैद्यानिकता का आदेशिका दिनांक में भी उल्लेख है । जब उक्त दिनांक 29.10.2024 को प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से इस संबंध में कारण पूछा गया तो कहा गया कि आप का जबाब वादिया के खिलाफ है। मुझे प्रकरण में मेरी मर्जी से कार्यवाही करनी है आप को

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आपत्ति हो तो आप शिकायत कर सकते है या केस को अन्य न्यायालय में अंतरित करा सकते है। पीठासीन अधिकारी मनमाने पन या अवैधानिकता के कारण प्रार्थीगण अपने पक्ष रखने के मूलभूत विधिक हक अधिकार से वंचित हो जायेंगे और उनके हितों की सुनवाई के बिना निस्तारित कर दिया जायेगा जो कानूनी व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। प्रकरण में तारीख पेशी एक दो दिन की ही तारीखें नियत की जा रही है। प्रकरण की पत्रावली पीठासीन अधिकारी स्वयं के पास रखते है। विगत पेशियों से पत्रावली में लगभग दिन प्रतिदिन सुनवाई की जा रही है। विगत एक माह से छः पेशी नियत की गई है। पीठासीन अधिकारी प्रिज्यूडिश होकर वादिया के पक्ष में एक तरफा मंतव्य रखे हुये है जिनसे प्रकरण की निष्पक्ष व समुचित सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इस कारण प्रार्थीगण ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। जल्दी जल्दी तारीख पेशी दिया जाना प्रकरण को ट्रान्सफर किये जाने का आधार नहीं है । प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार होकर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर